इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य

बनाम

साबिया खान और अन्य

जुलाई 11,2006

[न्यायाधिपति एस बी सिन्हा और न्यायाधिपति दलवीर भंडारी]

उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवेज अधिनियम, 1975:

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न शुल्कों/शुल्क लगाना - आयोजित की वैधताः उच्च न्यायालय ने अपने विचार को लागू किए बिना और तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचे बिना यह अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के शुल्क/शुल्क का अधिरोपण कानून में अस्वीकार्य था ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है- इन परिस्थितियों में, सभी मामलों को कानून के प्रासंगिक सिद्धांतों को लागू करते हुए नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश जल संस्थान को भी पक्षकारों के रूप में शामिल करके- न्यायिक समीक्षा : इन अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा था वह यह था कि क्या इलाहाबाद विकास द्वारा लगाए गए शुल्क/शुल्क अधिरोपण कानून में वैध थे।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

1.1. शुल्क/शुल्क की प्रयोज्यता के लिए संबंधित मामले के सभी पहलुओं पर अपने दिमाग को लगाए बिना उच्च न्यायालय ने उस प्रभाव के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना इसे कानून में अस्वीकार्य के रूप में अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ाया। [453-एफ]

1.2. उच्च न्यायालय इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने पर शुल्क को रद्द कर सकता था कि इस तरह का शुल्क लगाना उचित नहीं था, लेकिन उच्च न्यायालय को इस आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था कि सभी आवेदक निर्माण सामग्री को अपनी भूमि पर या निजी भूमि में रख रहे होंगे, उच्च न्यायालय ने इसके अलावा, अपनी राय देने में गलत परीक्षण लागू किया। [453 जी]

2. किसी कानून की संवैधानिकता और/या प्रयोज्यता/वैधता और/या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों से निपटने के दौरान, न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह है कि उच्च न्यायालय को इसके संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार को लागू करना चाहिए था और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में निर्धारित किया गया है। मामले के किसी भी द्रष्टिकोण से, रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में राज्य की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। [454-सी डी]

3.1. उच्च न्यायालय को उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करना चाहिए, यदि कोई हो, तो लागू होने वाले प्रासंगिक सिद्धांतों को लागू करते हुए । उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश जल संस्थान को पक्षकार के रूप में मामले को शामिल करके नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजे जाते हैं। [454-ई एफ जी एच]

3.2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है और पक्षों की सभी दलीलें उच्च न्यायालय के समक्ष बनी रहेंगी। [455-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 4351/2004

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 1.7.2003 की सिविल मिश्रित याचिका सं. 232381/2001 में।)

के साथ

सिविल अपील संख्या 4352, 4389, 4391, 4392, 4393, 4394, 4397, 4399, 4401, 4402-4403/2004, 5151, 5455/05, 7511, 7512 और 7513/2004

एम. एन. कृष्णमणि, एस. मार्कंडेय, राकेश उत्तमचंद्र उपाध्याय, (गोपाल बलवंत साठे के लिए), ए. के. मिश्रा, के. के. त्यागी, सारदा, अस्तीहर अहमद, पी. नरसिम्हन, मधु तेवतिया, चंदर शेखर अशरी, प्रमोद स्वरूप, कमलेंद्र मिश्रा, अनुव्रत शर्मा, राजीव दुबे, मुकेश वर्मा, के. सी. जैन, ई. सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, मनु कृष्णन, जयंत कुमार, एच. के. पुरी, आर. पी. वाधवानी, एस. के. वर्मा, अजय के. अग्रवाल और प्रशांत कुमार उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति एस.बी.सिन्हा,

सिविल अपील संख्या 4351/2004, 4352/2004, 4402-4403/2004, 4389/2004, 4391/2004, 4392/2004, 4394/2004, 4397/2004, 4393/2004।

ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 1.7.2003 को पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में प्रथम अपीलार्थी द्वारा लगाई गई निम्नलिखित दरों/शुल्कों की वैधता पर सवाल उठाया गया है, अर्थात्ः

(1) जल शुल्क

(2) मालवा शुल्क

(3) उप-विभाजन प्रभार

(4) विकास शुल्क

(5) खुली जगह का शुल्क

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में केवल पहले अपीलार्थी और उसके क्षेत्रीय अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में शामिल किया गया था और यहां तक कि यू. पी. जल संस्थान, यू. पी. जल आपूर्ति और मलजल अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत गठित एक अन्य वैधानिक निकाय को भी इसमें पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मुख्य रूप से रिट याचिकाओं को मंजूरी दी इस आधार पर कि न्यायालय कुछ तथ्यों का 'न्यायिक संज्ञान' ले सकता है, यह कहते हुए कि "हम देख सकते हैं कि जल शुल्क के संबंध में यह राय दी गई थी कि चूंकि यू. पी. जल संस्थान द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसे यू. पी. जल आपूर्ति और मलजल अधिनियम, 1975 के तहत माना जाता है, इसलिए इसमें पहले अपीलकर्ता के पास अपना कोई जल कार्य नहीं है।

यह हमारे सामने बताया गया था कि जल शुल्क प्रथम अपीलकर्ता द्वारा एकत्र किया जाता है और कुछ एकत्र जल संस्थान को सौप दिया जाता है। इसका विवरण अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के जवाबी हलफनामे में दायर प्रत्युत्तर हलफनामे के अनुलग्नक 1 में दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लगाया।

इसी तरह शुल्क/शुल्क की प्रयोज्यता से संबन्धित मामले के सभी पहलुओं पर अपना दिमाग लगाए बिना, उच्च न्यायालय ने यह माना की यह कानून में अस्वीकार्य था ,बिना यह निष्कर्ष निकाले की याचिकाकर्ता ने निर्माण सामाग्री नहीं रखी है। प्राधिकरण की भूमि या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर।

किसी दिए गए मामले में, इसलिए, उच्च न्यायालय इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने पर उदग्रहन को खारिज कर सकता था कि इस तरह के शुल्क को लागू करना न्यायसंगत नहीं था, लेकिन उच्च न्यायालय को इस आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था कि सभी आवेदक निर्माण सामग्री को अपनी भूमि पर या निजी भूमि पर रख रहे होंगे । उच्च न्यायालय, इसके अलावा, राय देने में एक गलत परीक्षण लागू कियाः

यह सर्वविदित है कि यू. पी. में, और शायद कई अन्य राज्यों में, जब भी कोई व्यक्ति किसी भवन या कमरा के निर्माण के लिए मानचित्र

की मंजूरी के लिए आवेदन करता है अधिकारी रिश्वत की मांग करते हैं, अन्यथा मानचित्र को मंजूरी नहीं दी जाएगी और सभी प्रकार की अति तकनीकी आपत्तियां उठाई जाएगी। यह आम जानकारी है कि देश में लगभग हर नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण ने एक मानचित्र स्वीकृत को मंजूरी देने के लिए इस रिश्वत की दर तय की है, अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसे नगर पालिका या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को एक भवन या कमरे के निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र के लिए मोटी राशि का भुगतान करना पड़ता है। और यदि कोई इतनी राशि का भुगतान नहीं करता है, तो मानचित्र को मंजूरी नहीं दी जाएगी कि जब तक इस देश के नागरिक इस निंदनीय स्थिति को बर्दाश्त करेंगे, अब ऐसा समय आ गया है जब इस अपमानजनक स्थिति में हस्तक्षेप करना और अपनी न्यायपालिका को ऐसे मामलों में लोगों की ओर से बोलना चाहिए और उन्हें लोगों के ध्यान में लाना चाहिए।

संवैधानिकता और/या किसी क़ानून की प्रयोज्यता/वैधता और/या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों से निपटने के दौरान, न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है।

उच्च न्यायालय को हमारे निर्देश में अपना दिमाग लगाना चाहिए था उसके संबंध में सुव्यवस्थित सिद्धांत और मामले के विभिन्न दृष्टिकोण में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी दृष्टिकोण के संबंध में, रिट

याचिका में एक पक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था।

इसलिए, हमारी राय है कि विवादित निर्णय नहीं हो सकता है। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं और अन्य संबंधित मामलों, यदि कोई हो, के लिए लागू प्रासंगिक सिद्धांतों को लागू करने पर विचार करना चाहिए।

इसलिए, विवादित निर्णय निर्धारित किए गए हैं , अपीलों की अनुमति है और मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और संदर्भों को ध्यान में रखते हुए और बाद में उठाई गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा लगाए गए शुल्क अवैध हैं, हम उच्च न्यायालय से विचार करने का अनुरोध करेंगे। इस आदेश के संचार की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर मामलों को यथासंभव तेजी से निपटाने की वांछनीयता।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश राज्य और यू. पी. जल संस्थान को पक्षों के रूप में अंकित किया जाएगा। श्रीमान मार्कण्डय, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे सामने उपस्थित होते हुए कहते हैं कि यू. पी. राज्य उच्च न्यायालय समक्ष उपस्थित होगा। उच्च न्यायालय द्वारा जल संस्थान को एक नोटिस भेजा जाए, इसके

अलावा यह भी देख सकता है कि इस न्यायालय ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों अपना दिमाग नहीं लगाया है और सभी दलीलें उच्च न्यायालय के समक्ष खुली रहेंगी।

सिविल अपील संख्या 4399/2004, 4401/2004, 7511/2004, 7512/2004, 7513/2004, 5455/2005, 5151/2005

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम साबिया खान और अन्य सिविल अपील सं. 4351/2004 में हमारे फैसले को देखते हुए, इन अपीलों में पारित अंतरिम आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती हैं, हालांकि यह उच्च न्यायालय के लिए मामला नए सिरे से विचार करने के लिए खुला होगा।

एसकेएस.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।